(11)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद की बैठक

दिनांक 24-03-2018

की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 24.03.2018 को अपराह्न 03:30 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1.	प्रो. सुरेन्द्र दुबे	– कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो. आर. के. सैनी	– सदस्य
3.	प्रो. पूनम पुरी	– सदस्य
4.	प्रो. शिव कुमार कटियार	– सदस्य
5.	डा. नन्दलाल शुक्ला	– सदस्य
6.	डा. डी. के. भट्ट	– सदस्य
7.	डा. शिप्रा सक्सेना	– सदस्य
8.	डा. चन्द्रकुमार चौरसिया	– सदस्य
9.	डा. अंजू दत्त	– सदस्य
10.	डा. वी. के. सिंह	– सदस्य
11.	डा. सतीश कुमार	– सदस्य
12.	प्रो. एम. एम. सिंह	– विशेष आमंत्री सदस्य
13.	श्री धर्मपाल	– वित्त अधिकारी
14.	श्री चन्द्रपाल तिवारी	– कुलसचिव / सचिव
15.	श्री पारसनाथ प्रसाद	– परीक्षा नियंत्रक / विशेष आमंत्री
16.	डा.दीपक तोमर	– सिस्टम एनालिस्ट / विशेष आमंत्री

कार्यवाही –

1. **कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 20.02.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.02.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

2. **वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.03.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

   वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.03.2018 की कार्यवाही का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

   साथ ही परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर वर्ग के मासिम मानदेय में की गई बढ़ोत्तरी से आने वाले घाटे की पूर्ति हेतु एवं आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को वहन करने हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित 'अक्षय निधि' का वित्तीय वर्ष 2017–18 (परिपक्वता तिथि के अनुसार) का ब्याज स्ववित्त पोषित योजना बचत खाते में स्थानान्तरित कर लिया जाये एवं पुनः रू. 100.00 (रू. सौ करोड़ मात्र) को 'अक्षय निधि' के रूप में विनियोजित कर लिया जाये।

परिषद् द्वारा पुस्तकालय में आवश्यकतानुसार पुस्तकें / पत्रिकाएँ (जर्नल्स) आदि क्रय किये जाने से पूर्व औचित्य निर्धारण हेतु निम्नांकित समिति गठित की गई।

1. प्रो. पूनम पुरी – संकायाध्यक्ष, वाणिज्य
2. प्रो. शिवकुमार कटियार – संकायाध्यक्ष, विज्ञान

3. **श्रीमती सुशीला देवी, नैत्यिक सहायक, आई. ई. टी. विभाग को अपने पुत्र की परीक्षा की तैयारी एवं देखभाल हेतु दिनांक 25.02.2018 से 31.05.2018 तक कुल 96 दिवसों का अवकाश के संदर्भ में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/3741–47 दिनांक 06.03.2018 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् के समक्ष श्रीमती सुशीला देवी, नैत्यिक सहायक, आई. ई. टी. विभाग को अपने पुत्र की परीक्षा की तैयारी एवं देखभाल हेतु दिनांक 25.02.2018 से 31.05.2018 तक कुल 96 दिवसों का अवकाश स्वीकृति का पत्र पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/3741–47 दिनांक 06.03.2018 प्रस्तुत किया गया, जिसका परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. **श्रीमती अन्जू आनन्द पत्नी स्व. नरेन्द्र कुमार अशोक, प्रयोगशाला सहायक की मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8691–96 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। पत्र परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्रीमती अन्जू आनन्द पत्नी स्व. नरेन्द्र कुमार अशोक, प्रयोगशाला सहायक की मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8691–96 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा की गई अनुकम्पा नियुक्ति का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द्र, अनुचर की मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार।**

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द्र, अनुचर की मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

6. **श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री सियाराम राजपूत, वरिष्ठ सहायक की मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार।**

श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री सियाराम राजपूत, वरिष्ठ सहायक की मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

7. **डा. रेखा लगरखा, सांस्कृतिक समन्वयक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा 'सांस्कृतिक गतिविधि केन्द्र' की स्थापना एवं बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

डा. रेखा लगरखा, सांस्कृतिक समन्वयक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा 'सांस्कृतिक गतिविधि केन्द्र' की स्थापना का प्रस्ताव के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव सम्पूर्ण विवरण एवं रूपरेखा के साथ प्रस्तुत किया जाये। इस हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

8. **श्री अनिल कुमार बौहरे, निजी सचिव, माननीय कुलपति को शासन द्वारा स्वीकृत निजी सचिव के पद पर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./अधि./2018/9108–14 दिनांक 19.03.2018 द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्थायी किया गया। पत्र परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

परिषद् के समक्ष श्री अनिल कुमार बौहरे, निजी सचिव, माननीय कुलपति को शासन द्वारा स्वीकृत निजी सचिव के पद पर दिनांक 19.03.2018 से स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत विश्वविद्यालय का पत्र संख्या बु.वि./अधि./2018/9108–14 दिनांक 19.03.2018 प्रस्तुत किया गया। जिसका परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुमोदन किया गया।

9. **परीक्षा समिति की आपात बैठकों दिनांक 23.02.2018 एवं 26.02.2018 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की आपात बैठकों दिनांक 23.02.2018 एवं 26.02.2018 की कार्यवाहियों के सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।**

(1) **डा. पुष्पा गौतम, कनिष्ठ सहायक के निलम्बन अवधि के 11 माह के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**

विश्वविद्यालय के पत्र संख्य बु.वि./आर.सी./2017/3875–3887 दिनांक 18/19.03.2017 द्वारा डा. पुष्पा गौतम निलम्बित हुई। जॉच समिति की आख्या एवं परिषद् की बैठक दिनांक 20.02.2018 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./आर.सी./2018/4462–69 दिनांक 20.02.2018 द्वारा डा. पुष्पा गौतम को बहाल किया गया। डा. गौतम द्वारा अपनी मॉ

के इलाज हेतु 11 महीने के निलम्बन अवधि का वेतन भुगतान हेतु अनुरोध किया गया। चूंकि परिषद् की बैठक दिनांक 20.02.2018 में डा. पुष्पा गौतम की बहाली के आदेश के साथ निलम्बन अविध के वेतन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं था। अतः कुलसचिव द्वारा माँ की बीमारी के कारण तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये मानवीयता के आधार पर परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त लाभ दे दिये जाने की कुलपति से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात डा. पुष्पा गौतम को भुगतान कर दिया गया।

परिषद् द्वारा उक्त निर्णय का अनुमोदन किया गया।

(2) **प्रो. रोचना श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का पूर्व संस्था से जी.पी.एफ. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**

प्रो. रोचना श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा दिनांक 27.07.2015 को अपनी पूर्व संस्था आई.टी. कालेज, लखनऊ से त्यागपत्र देने के उपरान्त शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा डा. रोचना के जी.पी.एफ. खाते 2611/24 में जमा धनराशि रू. 13,22,629/– (रू. तेरह लाख बाइस हजार छः सौ उन्तीस मात्र) विश्वविद्यालय के खाता संख्या 10651533080 पर जमा हो चुकी है। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/3700–04 दिनांक 05.03.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा खाता संख्या 10651533080 से उपर्युक्त धनराशि रू. 13,22,629/– (रू. तेरह लाख बाइस हजार छः सौ उन्तीस मात्र) प्रो. रोचना श्रीवास्तव के जी. पी.एफ. खाते में स्थानान्तरित कर दी गई। उक्त का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

(3) **विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षायें शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन, शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर बनाई गई विभिन्न व्यवस्थाओं का विवरण परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

शासन की अपेक्षा के अनुरूप परीक्षायें पूर्णतया नकलविहीन, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। इस हेतु गतिविधियों और उपलब्धियों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत् हैं:–

1. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की वार्षिक परीक्षायें अपनी पूर्व निर्धारित तिथि 06 मार्च 2018 से विधिवत प्रारम्भ हो गई हैं।

2. ये परीक्षायें विश्वविद्यालय के दो मण्डल (चित्रकूट एवं झाँसी) के सात जनपदों (झाँसी/ ललितपुर/ महोबा/ बाँदा/ चित्रकूट/ हमीरपुर और जालौन) में बनाये गये 241 परीक्षा केन्द्रों पर हो रही हैं।

3. शासनादेश के अनुसार गत वर्षों में सामूहिक नकल में चिह्नित 35 महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। ऐसे महाविद्यालयों की छात्राओं के भी केन्द्र बदल दिये गये हैं।

4. शासनादेशानुसार समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र बदले गये हैं। मात्र छात्राओं का स्वकेन्द्र है।

5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरे (प्रत्येक कक्ष में दो) लगवाये गये हैं जिनका सीधा कण्ट्रोल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित कण्ट्रोल रूम में स्थापित कम्प्यूटर से किया गया जिससे समस्त महाविद्यालयों का कक्षवार विवरण ऑनस्क्रीन विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है।

6. उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्त होने के एक घण्टे के अन्दर कोरियर के माध्यम से उठवा ली जा रही हैं।

7. झाँसी एवं चित्रकूट मण्डल स्तर पर क्रमशः कुलसचिव तथा उप कुलसचिव को मण्डल प्रभारी नियुक्त किया गया।

8. सभी सात जनपदों में राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों को नोडल केन्द्र बनाया गया है तथा उन्हीं के प्राचार्य/ वरिष्ठ शिक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्यों को नोडल प्रभारी तथा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि बनाया गया है, जो अनवरत अपने – अपने जनपदों के परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं। प्रतिदिन नोडल अधिकारी/ जिला प्रतिनिधि / उड़ाका दल की आख्या विश्वविद्यालय स्थित 'विश्वविद्यालय स्तरीय निगरानी समिति' को प्राप्त हो जाती है। जिसके परीक्षणोपरान्त आख्या परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत की जाती है। परीक्षा नियंत्रक उस पर अग्रिम कार्यवाही कर परीक्षा समिति में प्रस्तुत करते हैं। प्रति सप्ताह विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के जनपद भी बदले जा रहे हैं।

9. नोडल अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के अतिरिक्त कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर से भी सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में

उड़ाका दलों की टीम भेजी जा रही हैं और केन्द्रों पर नकल पर अंकुश लग चुका हैं।

10. अब तक हमीरपुर जिले के चार महाविद्यालयों एवं जालौन जिले के तीन महाविद्यालयों में सामूहिक नकल की पुष्टि होने पर उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है।

11. अब तक झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा तथा हमीरपुर कुल पाँच जनपदों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर चल रही परीक्षा के दौरान स्वयं कुलपति द्वारा निरीक्षण किया गया। कुलपति द्वारा निरीक्षण के दौरान झाँसी के एक महाविद्यालय में परीक्षा के समय प्रबन्धक परीक्षा केन्द्र पर मिले, जिससे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा उनसे एक सप्ताह में उत्तर मांगा गया था कि क्यों न उनके महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

12. विश्वविद्यालय के कुलसचिव जो झाँसी नगर के सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, भी प्रतिदिन लगातार परीक्षा केन्द्रों पर औचक निरीक्षण हेतु जा रहे हैं, अब तक वे भी झाँसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा तथा ललितपुर जनपदों में निरीक्षण कर चुके हैं। जालौन में शिकायत प्राप्त होने पर कुलसचिव द्वारा तीन बार निरीक्षण किया जा चुका है। परीक्षाओं में स्थानीय प्रशासन का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

13. जालौन जिला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण जिला प्रभारी के अतिरिक्त हर तहसील में परीक्षा प्रभारी नामित किये गये जो प्रतिदिन जालौन जनपद की हर तहसील में स्थित महाविद्यालयों का निरीक्षण करते है। विश्वविद्यालय स्तर पर उड़ाका दल का गठन किया गया जिसे आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद में भेजा जाता है।

14. परीक्षा के दौरान उडाका दल द्वारा सामूहिक नकल की सूचना पर विषय विशेषज्ञों की आख्या के आधार पर कार्य किया जायेगा। महाविद्यालयों से भी पत्र भेजकर उनका एक सप्ताह मे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनकी सम्बद्धता समाप्त कर दी जाय तथा जिनके अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षक परीक्षा ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ऐसे महाविद्यालयों को भी पत्र प्रेषित किया गया है कि क्यों न ऐसे शिक्षकों का अनुमोदन निरस्त कर दिया जाय।

15. दिनांक 16/3/2018 को एच0 एम0 मैमोरियल गर्ल्स डिग्री कालेज, झांसी मे कक्ष निरीक्षक द्वारा समय के उपरान्त उत्तर पुस्तिकायें लिखवाई जा रही थी उसकी प्राथमिकी दर्ज कराकर महाविद्यालय को सम्बद्धता समाप्ति का नोटिस जारी किया गया।

16. उड़ाका दल द्वारा जालौन जिले के चार महाविद्यालयों केन्द्र सं. 566, 625, 724 एवं 746 अतिसंवेदनशील की श्रेणी मे रखा जिनकी सूचना आयुक्त, जिलाधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव को भी प्रेषित कर दी गयी है तथा महाविद्यालय मे स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध

किया गया है उन्होने स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है। परीक्षा का नकल विहीन सम्पन्न कराने मे जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

17. सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक उड़ाका दल के साथ दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी भी भेजे जा रहे हैं।

मूल्यांकन

1. दिनांक 12 मार्च 2018 से परास्नातक कक्षाओं का मूल्यांकन प्रारम्भ हो चुका है। परास्नातक कक्षा का प्रथम परीक्षा परिणाम दिनांक 14 मार्च 2018 को घोषित किया गया। अद्यतन 05 परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके है।

2. स्नातक कक्षाओं का मूल्यांकन दिनांक 24 मार्च 2018 से प्रारम्भ होने जा रहा है। समस्त कक्षाओं के परिणाम दिनांक 15 जून 2018 के पूर्व घोषित कर दिये जाएंगे।

परीक्षाफल

प्रथम परिणाम दिनांक 14 मार्च 2018 को एम. ए. संगीत (पूर्वार्द्ध) घोषित किया गया, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम है। अब तक दिनांक 15 मार्च 2018 को एम. ए. संगीत (उत्तरार्द्ध) एवं 16 मार्च 2018 को एम. ए. मनोविज्ञान (पूर्वार्द्ध) एवं दिनांक 17 मार्च 2018 को एम. ए. उर्दू (पूर्वार्द्ध) तथा दिनॉक 23 मार्च 2018 को एम0 (पूर्वार्द्ध) संस्कृत के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं।

परिषद् द्वारा कुलपति एवं कुलसचिव / नगर मजिस्ट्रेट का धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके अथक प्रयासों से शासन की मंशा के अनुसार परीक्षायें नकलविहीन, शुचितापूर्ण, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही हैं। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा के सम्बन्ध में की गई उपर्युक्त समस्त व्यवस्थायें आंगामी परीक्षाओं में भी यथावत रहेगीं।

इसके अतिरिक्त वर्तमान सत्र 2017–18 में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अव्यवस्था, नकल एवं अन्य प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। कई महाविद्यालयों में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण केन्द्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षक आदि की व्यवस्था में कठिनाई आती है एवं अन्य आधारभूत सुविधायें भी नगण्य हैं। साथ ही ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि छात्राओं हेतु स्वकेन्द्र होने के कारण महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्ष एवं अन्य लोगों द्वारा उन्हें नकल की कुचेष्टा की जा रही है जिससे केन्द्र पर उपस्थित अन्य महाविद्यालयों के छात्र अव्यवस्था एवं अभद्रता कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में आगामी सत्र 2018–19 के लिये परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से पूर्व महाविद्यालय में अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का परीक्षण एवं छात्राओं के भी परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति गठित की गई।

- कुलसचिव
- परीक्षा नियंत्रक
- प्रो. एम. एम. सिंह – विभागाध्यक्ष, भू विज्ञान विभाग।
- डा. डी. के. भट्ट – विभागाध्यक्ष, फूड टेक्नोलॉजी विभाग।

यह समिति प्राप्त शिकायतों का विधिवत परीक्षण कर आगामी सत्र 2018–19 से परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ / सुझाव सहित परीक्षा समिति को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी।

(4) आगामी सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ग [illegible] एवं प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में नीति निधारित करने हेतु परिषद् द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया।

- संकायाध्यक्ष, विज्ञान
- डा. नन्दलाल शुक्ला – प्राचार्य, पं. जे. एल. एन. कालेज, बॉदा
- डा. डी. के. भट्ट – विभागाध्यक्ष, फूड टेक्नोलॉजी विभाग
- डा. अंजू दत्त – प्राचार्य, आर्य कन्या महाविद्यालय, झॉसी
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

उपरोक्त समिति से अपेक्षा की गई है कि यथाशीघ्र अपनी संस्तुति कुलसचिव को उपलब्ध करायें।

(5) विश्वविद्यालय में स्थित 'इनोवेशन सेन्टर' के उचित रखरखाव तथा वहॉ सम्पादित होने वाले शोध कार्यों के निरीक्षण हेतु सेन्टर पर एक पूर्ण कालिक [illegible] होना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में अन्य विभागों को शिक्षकों को वहॉ [illegible] किया गया है जिससे वह पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं और सेन्टर कम्पनी [illegible] हुये व्यक्तियों द्वारा संचालित करना पड़ता है। अतः परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि इनोवेशन सेन्टर के उचित रखरखाब हेतु एक प्रवक्ता स्तर के एक पद पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नियुक्ति की जाये जिससे वह इनोवेशन सेन्टर पर शोध कार्यों एव अन्य व्यवस्थाओं आदि की देखरेख में अपने समय का सदुपयोग करे। इनोवेशन सेन्टर हेतु पद पूर्व वित्त समिति तथा कार्य परिषद् से स्वीकृत हैं।

अन्त में धन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(चन्द्र[illegible])
कुलसचिव

(प्रो. सुरेन्द्र दुबे)
कुलपति